UPGZ010032322026

न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 4 गाजियाबाद।

उपस्थित: शिव कुमार तिवारी, उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O.Code No. U.P.1646

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–568/2026

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–1447/2026

1–अजमल पुत्र श्री गुलखेरू।
2–श्रीमति मोमिना पत्नी श्री अजमल खान।
3–अमन उर्फ शाहिल खान पुत्र अजमल खान।
4–फैज खान पुत्र श्री अजमल खान।
5–फरदीन पुत्र अजमल खान।

निवासीगण गली नंबर–9 दर्जी वाली गली, जन्नत विला, दौलतराम मार्किट, दादरी, रेलवे रोड, थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर।

.... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र०राज्य ....अभियोजन ।

मु० अ० सं०–461/2023
धारा–498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना–कोतवाली, जिला– गाजियाबाद।

<u>दिनांक 16.03.2026</u>

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण अजमल, श्रीमति मोमिना, अमन उर्फ शाहिल, फैज खान, फरदीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–461/2023 धारा 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली जिला गाजियाबाद के मामले में दौरान विचारण अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा स्वयं का शपथ पत्र इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किये गये जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/आवेदक कतई निर्दोष है। प्रार्थी/आवेदक का उपरोक्त प्रकरण व उपरोक्त प्रकरण की दर्शित की गयी तथाकथित घटना से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है द्वारा मुकदमा वादिया पारिवारिक बातो को लेकर उक्त मुकदमा बिला वजह दर्ज करा दिया। उपरोक्त प्रकरण की बाबत पत्रावली पर प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध पत्रावली पर कोई भी स्वतन्त्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तथाकथित दर्शित घटना की रिपोर्ट मुकदमा वादिया द्वारा बतायी गयी घटना से 2 वर्ष की देरी से लिखाई गयी है जब कि घटना का कोई निश्चित समय या स्थान दर्शित नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि मुकदमा वादिया द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। दोनो पक्षों का आपस में समझौता हो गया था तथा वादिया पिछले दो वर्षो से प्रार्थी/आवेदक व उसके परिवार वालों के साथ प्रेम व स्नेह से रहकर वैवाहिक जीवन बसर कर रही है जिसमें सम्बंध में मुकदमा वादिया द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र अपना शपथ–पत्र भी दाखिल किया है। प्रार्थी/आवेदक को विवेचनाधिकारी महोदय द्वारा अं० धारा–41ए. के नोटिस पर छोड दिया गया था। विवेचनाधिकारी महोदय उक्त प्रकरण में आरोपत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रार्थी/आवेदक पर दर्शित अपराध में 7 वर्ष से कम का कारावास है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अन्तगर्त धारा– 482 संख्या–5677/2022 निर्णय दिनांक 20–5–2022 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार एवं निर्णय में दी गयी नजीर सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी० बी० आई० में प्रतिपादित

सिद्धांत के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में है। प्रार्थी/आवेदक ने पूर्व में या आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर कोई भी कारावास नहीं भोगा है। प्रार्थी/आवेदक का उपरोक्त प्रकरण में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है इसके अलावा प्रार्थी/आवेदक ने कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न तो प्रस्तुत किया है ना ही खण्डित हुआ है। अग्रिम जमानत के प्राविधान के अनुसार प्रार्थी/आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने में कोई कानूनी नुकसान नहीं है। प्रार्थी/आवेदक का अग्रिम जमानत पर रिहा होने के पश्चात उसका माननीय न्यायालय की सीमा क्षेत्र से भागने एवं गवाहान सबूत नष्ट करने का कोई अन्देशा नहीं है।

4– संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा आशी पुत्री श्री अनीस निवासी नसरतपुरा जी टी रोड, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद की है। वादी मुकदमा व तौकीत पुत्र श्री अजमल निवासी गली नम्बर–9 जन्नत विला दौलतराम मार्किट दादरी, रेलवे रोड, दादरी जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा अपना विवाह आपसी सहमति के आधार पर मुस्लिम धर्म एवं रीति रिवाजों के अनुसार दिनांक 27.12.2021 को सम्पन्न कराया था और इसके बाद प्रार्थिनी को प्रार्थिनी के मायके वालों ने घर गृहस्थी का समस्त सामान, कीमती जेबरात, नकद धन आदि सब कुछ दिया था तथा शादी में 9,00,000/– रूपये से अधिक का खर्चा किया था। मै शादी के बाद अपनी ससुराल गयी थी। उसने अपनी ससुराल जाकर अपने पति तौकीत, ससुर अजमल, सास मोमिना, जेठ अमन, देवर फरदीन, देवर फैज, ननद लायबा आदि तमाम परिवार वालों की खूब सेवा भाव की तथा शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया परन्तु विवाह के बाद ही उसके पति व उसके उपरोक्त घर वालों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में 5,00,000 /– रूपये नकद व एक कार की मांग करना आरम्भ कर दिया जब प्रार्थिनी ने मांग पूरी कराने में असमर्थता जाहिर की तो प्रार्थिनी का पति व उसके उपरोक्त घर वाले प्रार्थिनी को घोर मानसिक व शारीरिक यातनाएं देकर उसका घोर दहेज उत्पीडन करने लगे कहने लगे कि यदि मांग पूरी नहीं करायी तो तुझे हम अपने यहां नही रखेंगें प्रार्थिनी ने इसकी शिकायत अपने मायके वालों से की थी जिस पर प्रार्थिनी के मायके वालों ने प्रार्थिनी के दहेज के लालची क्रूर व निर्दयी ससुराल वालों को समझाने का बहुत प्रयास किया परन्तु वह नही माने प्रार्थिर्नी एक इज्ज़तदार परिवार की होने के कारण इनकी तमाम यातनाएं किसी तरह से यह सोचकर सहन करती रही कि एक न एक दिन तो इनके व्यवहार में बदलाव आ ही जाएगा परन्तु इनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, यह लोग पूरे पूरे दिन मुझसे घर का तमाम काम कराते थे। इसी दौरान मै गर्भवती हो गयी परन्तु गर्भवती में हो गयी परन्तु गर्भवस्था में भी यह लोग मुझे बहुत मारते थे। मेरे व मेरे पति के वैवाहिक सम्बंधों से एक बेटी हुरीन का दिनांक 23–1–2023 को जन्म हुआ था परन्तु बच्ची होने के बाद तो इनके अत्याचार और अधिक बढ गये कहने लगे कि एक तो मांग पूरी नहीं करायी उपर से लडकी पैदा कर दी उसकी कोई केयर नहीं की तथा जच्चा अवस्था में ही उसे कपड़े धुलवाना व घर का काम कराना शुरू कर दिया खाने तक को नहीं देते थे। उसका जेठ अमन व ससुर कहता था कि साली को घर में क्यो रख रखा है निकालो घर से जिस पर उसका पति उसे बहुत मारता था कहता था कि तुझे अब नही रखूंगा। दिनांक–16–8–2023 को सुबह के समय फिर इन लोगों ने मेरे साथ मार–पीट की मेरे जेठ व ससुर, मेरी सास व अन्य सभी लोगों ने मेरे पति से कहा कि दे हरामजादी को तलाक दे दे इतना सुनते ही मेरे पति ने मुझे तलाक, तलाक, तलाक कहकर तीन बार एक ही समय में तलाक दे दिया और कहा कि तू मेरी बीवी नही है, यहां से निकल जा नही तो जान से मार देंगें तथा मुझे मात्र पहने हुये कपडो में घर से निकाल दिया मैं किसी तरह से अपने मायके आयी तभी घटना अपने घर वालों को बतायी थी मेरे घर वालों ने समाज के मोजिज व्यक्तियों के माध्यम से इन लोगों से कहा कि हम कार्यवाही करेंगें जिससे यह लोग चिड गये तथा दिनांक 17.08.2023 को समय करीब 8.30 बजे रात्रि के समय उसके पिता के निवास स्थान नसरतपुरा जी टी रोड, गाजियाबाद, जिला–गाजियाबाद पर एक बडी गाड़ी में मेरा पति तौकीत, ससुर अजमल, सास मोमिना, जेठ अमन, देवर फरदीन, देवर फैज, ननद लायबा आये तथा गाड़ी खडी करके जबरदस्ती घर के अंदर घुस गये आते ही कहा कि हम फैसला करने आये है प्रार्थिनी के ससुर ने उसके पिता से कहा कि उसके लडके तौकीत ने तेरी लडकी आशी को तलाक दे दिया है, तथा कुछ कागजातों पर साईन कराने का दबाब बनाने लगे मैने व मेरे घर वालों ने कागजातों पर साईन करने से मना कर दिया जिस पर मेरे जेठ अमन मन ने मेरे पति से कहा कि आशी को इसके घर वालों के सामने भी दे दे तलाक, तभी मेरे पति ने मेरे घरवालों के व अन्य लोगों के सामने सामने भी तलाक, तलाक, तलाक कहकर मुझे तीन तलाक दे दिया मैने कहा कि अभी थाना जा रही हूं जिस पर सभी लोग मुझे व मेरे घर वालों को पीटना शुरू कर दिया कह रहे थे कि सालों जान से मार देंगें, चीख पुकार सुनकर काफी लोग आ गये थे भीड को देखकर व मुझे मरी समझकर यह लोग यह धमकी देकर गये।

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ कोई अतिरिक्त दहेज की मांग व उसको प्रताड़ित नहीं किया गया है।

7– इसके विपरीत अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर पीड़िता से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी तथा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पीड़िता का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न कारित किया गया है। जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

8– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 461/2023 धारा 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, के अंतर्गत अग्रिम जमानत दिये जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण की विवेचना की दौरान विवेचक द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिससे यह दर्शित होता उनके द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया था। इसलिए विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की प्रकृति के अनुसार यह प्रकरण अभियुक्तगण/आवेदकगण तथा पीड़िता के मध्य वैवाहिक विवाद व पारिवारिक विवाद से संबंधित है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णयज विधि **"Sidharth vs. State of UP another (2022) 1 SCC 676"** में दिये गये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Observations को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को दौरान विचारण वाद अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का इस प्रकरण में आधार पर्याप्त है।

आदेश

9– आवेदकगण/अभियुक्तगण अजमल, श्रीमति मोमिना, अमन उर्फ शाहिल, फैज खान, फरदीन की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अजमल, श्रीमति मोमिना, अमन उर्फ शाहिल, फैज खान, फरदीन को संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी संतुष्टि पर अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानत प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तानुसार अग्रिम जमानत पर दौरान विचारण रिहा किया जायेगा–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण जैसे और जब अपेक्षा की जाएगी, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगें।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होंगे, जिसमें उन्हें आरोपित किया गया है ।

दिनांक–16.03.2026

(शिवकुमार तिवारी),
J.O.Code No. U.P.1646
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 4,
गाजियाबाद।

Digitally signed by SHIV KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.17 16:39:29 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court